रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122024-259269
CG-DL-E-09122024-259269

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4833] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 4, 2024/अग्रहायण 13, 1946
No. 4833] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2024/AGRAHAYANA 13, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5226(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 3565 (अ), तारीख 9 अगस्त, 2023, द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 10 अगस्त , 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना की बाबत व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में बेलगावी जिले के खानापुर तालुक में महादयी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में फैला हुआ है और यह कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में दांदेली वन्यजीव अभयारण्य और गोवा में महादयी वन्यजीव अभयारण्य के साथ सीमा साझा करता है और अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 19042.58 हेक्टेयर है और अभयारण्य को उच्च पुष्प और जीव विविधता वाले आरक्षित वन क्षेत्रों से बनाया गया है;

और, पश्चिमी घाट अपने अद्वितीय स्थान के कारण भारतीय प्रायद्वीप में जैव विविधता के संरक्षण और उनके द्वारा समर्थित पारिस्थितिक प्रचुरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनकी समृद्ध जैव विविधता और संवेदनशील

भू-आकृति विज्ञान और विशिष्टता जोड़ते हैं और भीमगढ़ क्षेत्र में व्यापक जैव विविधता है और बाघ और अन्य जंगली जानवरों के लिए गलियारा प्रदान करता है। निकटवर्ती संरक्षित क्षेत्रों वाले जानवर और भीमगढ़ की बारापेड गुफा भारत में रॉटन के फ्री टेल्ड चमगादड़ों के लिए एकमात्र ज्ञात आश्रय स्थल है और भीमगढ़ क्षेत्र कृष्णापुर गुफाओं में थियोबाल्ड्स के मकबरे के लिए देश में दुर्लभ आवासों में से एक है;

यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के मुख्य क्षेत्र में है, जिसमें खड़ी ढलानों वाले अर्ध-सदाबहार और सदाबहार घने जंगल शामिल हैं और इस क्षेत्र में समृद्ध पुष्प और जीव विविधता है और यह रॉटन के मुक्त पूंछ वाले चमगादड़ (ओटोमॉप्स रॉटोनी) जैसी गंभीर रूप से लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियों का निवास स्थान है और थियोबाल्ड के मकबरे चमगादड़ों (टैफोज़स थियोबाल्डी) और बारापेड गुफाओं को भारत में रॉटन के मुक्त पूंछ वाले चमगादड़ों के लिए एकमात्र आश्रय और प्रजनन स्थान के रूप में जाना जाता है और समृद्ध जैव विविधता वाला यह क्षेत्र गोवा में महादयी वन्यजीव अभयारण्य के पूर्व में और उत्तर में स्थित है। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है और यह पूरा क्षेत्र दांदेली वन्यजीव अभयारण्य, काली टाइगर रिजर्व, भगवान महावीर और महादायी वन्यजीव अभयारण्यों के बीच बाघों और अन्य वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक गलियारे के रूप में कार्य करता है और यह क्षेत्र महादायी जैसी कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल और जलग्रहण बेसिन है, बैलनाडी, आदि धाराओं की संख्या के अलावा और क्षेत्र में कई गुफाओं के साथ कई भू-आकृति विज्ञान चूना पत्थर की संरचनाएं शामिल हैं, जो इस स्थान के लिए स्थानिक जीवों और वनस्पतियों की विस्तृत विविधता का समर्थन करती हैं और उपरोक्त के अलावा, अभयारण्य ऐतिहासिक भीमगढ़ किले के खंडहरों को कवर करता है, जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है;

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के सदाबहार जंगलों में प्रमुख वृक्ष प्रजातियां अंजन (मेमेसीलोन एडुले), हेब्बालासु (आर्टोकार्पस हिर्सुटस), वाटे (आर्टोकार्पस लकूचा), रामपात्री (मिरिस्टिका मालाबारिकम), दालचिनी (सिनामोमम एसपीएस), नंदी (लेगरस्ट्रोमिया लांसोलाटा), धुप (वेटेरिया इंडिका), अशोक (साराकैन्डिका), फिशटेल पाम (कैरियोटॉरेन्स), गोवाडा (मैपिया फोटिडा) हरड़ (टर्मिनलिया चेबुला), कवल (केरेया आर्बोरिया), आंवला (एम्ब्लिका ऑफिसिनैलिस), तारे (टर्मिनलिया बेलिरिका), होन (पेरोकार्पस मार्सुपियम), किंडल (टर्मिनलिया पैनिकुलता), शीशम (डालबर्गिया लैटिफोलिया), जैक (आर्टोकार्पस एसपीपी), मुर्की (बुचानिया लानज़ान), धुप (डिप्टरोकार्पस इंडिकस), आदि का बाहुल्य होता है।

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य औषधीय पौधों का एक समृद्ध भंडार है और अमागांव के अर्ध सदाबहार जंगलों में एक ऐसा क्षेत्र 2010-11 के दौरान औषधीय पौधों के संरक्षण क्षेत्र के लिए पहचाना गया है और अभिलिखित प्रजातियों में से लगभग 82 प्रतिशत पौधे पाए जाते हैं। औषधीय महत्व के होने के लिए और अभिलिखित की गई पौधों की प्रजातियों में से लगभग 47 प्रतिशत पेड़ हैं, इसके बाद झाड़ियाँ, 28 प्रतिशत और जड़ी-बूटियाँ, 18 प्रतिशत हैं और यह क्षेत्र कई स्थानिक पौधों की प्रजातियों का भी घर है, जैसे कि एंसिस्ट्रोक्लाडस हेनेनस, डायोस्पायरोस पैनिकुलाटा, यूओनिमस इंडिकस, मास्टिक्सिया आर्बोरिया, आदि और दर्ज किए गए औषधीय पौधों में से कई जैसे अरिस्टोलोचिया टैगाला, डायोस्पायरोस मोंटाना, एम्ब्लिका ऑफिसिनैलिस, गार्सिनिया इंडिका, नॉथापोडिट्स निमोनियाना आदि उच्च औषधीय और आर्थिक मूल्य वाले हैं;

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों, सरीसृपों, पक्षियों, तितलियों और अन्य कीड़ों का पर्यावास है और इस तथ्य के अलावा कि भीमगढ़ रॉटन फ्री टेल्ड चमगादड़ों के पर्यावास और प्रजनन के लिए एकमात्र ज्ञात स्थान है, इस क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण शिकारी और शिकार करने वाले जानवर भी हैं और अभयारण्य में रह रहे बाघों की उपस्थिति और उनके लिए अच्छे शिकार की उपलब्धता से पता चलता है कि यह बाघों के लिए एक अच्छा पर्यावास स्थल है और अभयारण्य विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे सांभर (सर्वस यूनिकलर), भारतीय गौर (बोस गौरस), चौसींगा मृग (टेट्रासेरस क्वाड्रिकोर्निस), काकड़ हिरण (मुंटियाकस मुंटजैक), बनैला सूअर (सस स्क्रोफा), भारतीय क्रेस्टेड साही (हिस्टिक्सइंडिका), भारतीय खरगोश (लेपस नाइग्रीकोलिस), भारतीय चित्तीदार शेवरोटेन (ट्रैगुलस मेमिन्ना), ग्रे लंगूर (प्रेस्बिटिस एंटेलस), रेड स्लेंडर लोरिस (लोरिस टार्डिग्राडस), चीतल (एक्सिस एक्सिस), तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस), ढोल या

भारतीय जंगली कुत्ता (कुओन अल्पाइनस), तेंदुआ बिल्ली (फेलिस बेंगालेंसिस) रीछ (मेलर्सस उर्सिनस), स्वर्ण सियार (कैनिस ऑरियस), पायथन (पायथन मोलुरस), किंग कोबरा (ओफियोफैगस हन्ना), रसेल वाइपर (दबोइया रसेली), सामान्य करैत (बंगारस कैर्यूलस), रैट स्नेक (पटायस म्यूकोसा), वाइन स्नेक (अहैतुल्लानासुता), सामान्य भारतीय मॉनिटर छिपकली (वरनस बेंगालेंसिसभारतीय उड़ाकू छिपकली (ड्रेको डुसुमिएरी), मालाबार गैंट गिलहरी (रतुफा इंडिका) आदि का पर्यावास है। भीमगढ़ क्षेत्र को बाघों के लिए सबसे आदर्श पर्यावासों में से एक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि छह से आठ बाघ अभयारण्य में रहते हैं और कर्नाटक और गोवा राज्य के आसपास के जंगलों में भी घूम रहे हैं।

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में पक्षियों की बहुलता है जिसमें विशाल भारतीय धनेश सम्मिलित है और अंगारक, खंजन, कठफोड़वा, कौडिल्ला, चील, बगुला, शकरखोरा, उल्लू और पंडुक की विविधता है। ग्रे जंगली मुरगा, जंगल मयना, महोख, परलोक मक्खीमार, मालाबार अंगारक आदि भी इस क्षेत्र में सामान्यतः दिखाई देते हैं।

और, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण क दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 19)। (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में पर्यावरण अधिनियम कहा गया है।) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आस-पास के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् : -

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन 117.75 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका विस्तार 0 किलोमीटर (अंतर राज्य सीमा और काली टाइगर रिजर्व) से 3.23 किलोमीटर तक है, जिसमें आसपास के 13 गांव शामिल हैं।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन का सीमा विवरण **उपाबंध-क** के रूप में संलग्न है और इसकी सीमा पर प्रमुख स्थानों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र **उपाबंध-ख** के रूप में संलग्न हैं।

(3) संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के प्रमुख स्थानों के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम निर्देशांक **उपाबंध-ग** के रूप में संलग्न हैं।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के भीतर आने वाले गांवों के ब्यौरे **उपाबंध-घ** के रूप में संलग्न है और पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन सीमा के भीतर आने वाले आरक्षित वन क्षेत्र के ब्यौरे **उपाबंध-ड.** के रूप में संलग्न है। और पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन की सीमा के भीतर राजस्व क्षेत्र के ब्यौरे **उपाबंध-च** में दिये गए हैं और सर्वेक्षण संख्या के साथ आरक्षित वन भूमि जो पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के भीतर आती है उसे **उपाबंध-छ** के रूप में संलग्न किया गया है।

(5) वन ब्लॉक क्षेत्रों में सभी क्रियाकलाप भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और संरक्षित क्षेत्र अभयारण्य में सभी क्रियाकलाप और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), राज्य अधिनियमों, नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों द्वारा शासित होगें ।

(6)कुल क्षेत्रफल **11413.25** हेक्टेयर और आरक्षित वन तथा **525.04** हेक्टेयर राजस्व क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भीतर आता है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के लिए आंचलिक महायोजना. –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों का पालन करते हुए, आंचलिक महायोजना तैयार और अधिसूचित करेगा।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना उक्त योजना में पारिस्थितिक और पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्: -

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग, कर्नाटक सड़क विकास निगम लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण;

(xii) हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड;

(xiii) पुलिस विभाग (गृह);

(xiv) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यामान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक और पारिस्थितिकी अनुकूल हो का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीणोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्योरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थल, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिसिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगा और स्थानीय समुदाय की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिबृद्धि भी करेगा।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।

IndiaCode

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को पूरा करने के लिए मानीटरी समिति के लिए संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

(10) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना तैयार होने तक, सभी नए संनिर्माण और अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों को मानीटरी समिति को भेजा जाएगा।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय. -** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

(1) **भू-उपयोग. –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं जिनके अंतर्गत् ग्रामीण उद्योग भी है; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं; सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिनके अंतर्गत ग्रहवास सम्मिलित है और;

(v) पैराग्राफ-4 में दिए गए संवर्धित क्रियाकलापः

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुपालन तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: नवीनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय.** - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीनीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हों ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

IndiaCode

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन. –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के घटक के रूप में होगी।

पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के (घ)अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी।

-:अर्थात् ,पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे (ङ)

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नई पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों और पारिस्थितिकी पर्यटन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास पर बल देते हुए जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।

(ii) जब तक आंचलिक महायोजना तैयार और अनुमोदित नहीं हो जाती, तब तक पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकपाओं का विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत. –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण का अनुपालन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **अपशिष्टों का निर्वहन.** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित अपशिष्ट का निर्वहन जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट. -** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर चिन्हित स्थल पर पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति से किया जा सकेगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.** - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन. -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय गतिविधियां-यातायात.-** यातायात यानीय गतिविधियों को पर्यावास-अनुकूल रीति से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय-यातायात के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय जनित प्रदूषण. –** यानीय प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छ ईंधन जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां. -** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण. -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर प्रतिसिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलाप.-

पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और केंद्रीय सरकार की अन्य अधिसूचनाओं, विधियों और अधिनियमों, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में पर्यावरण, वन और वन्यजीव से संबंधित अधिसूचना, संख्यांक 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में तत्समय प्रवृत्त विधियों द्वारा शासित होंगे, अर्थात्: -

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणीयां (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, वाणिज्यिक उत्खनन, पत्थर उत्खनन, रेत खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर घरों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई सहित वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय सभी नए और विद्यमान (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर उत्खनन और उनके तोड़ने की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से प्रतिसिद्ध किया जाता है।

		(ख) खनन प्रचालन माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सि.) सं. 1995 का 202 में टी. एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ और रिट याचिका (सि.) सं. 2012 का 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भर संघ और आई.ए. सं. 2003 का 1000 में तारीख 03.06.2022 के निर्माण और तत्पश्यात् आई.ए. सं. 2022 का 131377 में तारीख 26.04.2023 और 28.04.2023 के निर्णय के मामले में आदेशों के अनुसार किया जाएगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगीः परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए या विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
5.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं, ताप विद्युत संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में चिकित्सा अपशिष्ट सहित अपशिष्टों और ठोस अपशिष्टों का निर्वहन।	प्रतिषिद्ध।
8.	कृषि और बागवानी से भूमि उपयोग विन्यास में परिवर्तन ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वाणिज्यिक प्रयोजनों जैसे रिसॉर्ट्स, उद्योगों की स्थापना, आवासीय विन्यास के लिए प्रतिषिद्ध है।
9.	वाणिज्यिक खनिज जल संयंत्रों, वातित पेय बॉटलिंग संयंत्रों आदि के लिए भूजल संचयन सहित प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
10.	पर्यटकों, वाणिज्यिक होटलों और रिसॉर्ट्स द्वारा पोलिथीन बैगों का उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
11.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलापों जैसे वायुयान, गर्म वायु गुब्बारे, हेलिकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ने के क्रियाकलाप करना।	प्रतिषिद्ध, तथापि, वन विभाग गैर- वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए वृत्तचित्र बनाने के लिए वन, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकेगा।
12.	संकेत बोर्ड और होर्डिंग	प्रतिषिद्ध, तथापि, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ग्राम की सीमा के भीतर अनुज्ञा है और वन विभाग और उपयोक्ता अभिकरणों जैसे लोक निर्माण

IndiaCode

		विभाग, कर्नाटक सड़क विकास निगम लिमिटेड, कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आदि को अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गुजरने वाली सार्वजनिक सड़कों पर गति सीमा का पालन करने के लिए साइन बोर्ड जैसे, वन्यजीवों के बारे में और वन्यजीवों के हित में जागरूकता पैदा करने के लिए अनुज्ञा दी गई है।
13.	कृषि-पर्यटन, होम स्टे, वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट्स के लिए फार्म स्टे की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए या विद्यमान स्थापना के विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी
14.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
15.	फर्मों, कंपनियों, कॉरपोरेट्स द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्मों इत्यादि की स्थापना।	प्रतिषिद्ध, तथापि, स्थानीय किसानों द्वारा छोटे पैमाने पर पहल की अनुज्ञा है।
16.	ईंट भट्टों की स्थापना।	सभी नई और विद्यमान ईंट भट्टा इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं।
17.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भस्मीकरण सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचार या ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, और औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य स्थापनाओं, अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण सुविधा की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
18.	रेलवे, रोपवे, केबल कार	प्रतिषिद्ध।
19.	11किलोवॉट से अधिक विद्युत केबलों, पारेषण लाइनों का निर्माण।	प्रतिषिद्ध।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
20.	वाणिज्यिक होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटो को स्थापना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा ।
21.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी: परंतु, स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उपविधियों के अनुसार पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित स्थानीय लोगों को उनके उपयोग के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी: परंतु, गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।

		(ii) एक किलो मीटर के परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
22.	वृक्षों की कटाई ।	(क) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगें।
23.	भूजल संचयन सहित जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग।	(क) सतही जल और भूजल के निकासी की अनुज्ञा केवल स्थानीय लोगों को उनके वास्तविक कृषि उपयोग और भूमि के अधिभोगी को घरेलू उपभोग के लिए दी जाएगी; (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही जल और भूजल निकासी की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। (ग) सतही जल या भूजल के बिक्रय की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी; (घ) कृषि सहित किसी भी स्रोत से जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
24.	विद्युत केबलों, पारेषण लाइनों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगें। परंतु भविष्य में 11 किलोवाट तक घरेलू प्रयोजनों के लिए विद्युत केबल या पारेषण लाइनें बिछाई जाएं, केबलिंग अनिवार्य रूप से भूमिगत की जानी चाहिए और उपयोक्ता अभिकरणों द्वारा इंडिकेशन टाइल्स/केबल सुरक्षा कवर अनिवार्य रूप से लगाए जाने चाहिए और जंगली जानवरों को करंट लगने से बचाने के लिए विद्यमान विद्युत लाइनों के दो टावरों के बीच का "झुकाव" बिंदु जमीन से सुरक्षित दूरी पर होना चाहिए।
25.	संचार टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइनें।	लागू विधियों के अधीन अनुसार विनियमित होगें।
26.	विद्युत बाड़ लगाना, वाणिज्यिक होटलों या रिसॉर्ट्स या निजी होमस्टे, निजी फार्मों और फर्मों, कॉर्पोरेट घरानों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि और बागवानी उद्यमों के लिए परिसर।	लागू विधियों के अधीन अनुसार विनियमित होगें।
27.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना।	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, और मरम्मत की गई सड़कों की सतह की परिष्करण की स्थिति मूल सड़कों के समान ही रहेगी; अर्थात्, विद्यमान सड़कों का कोई चौड़ीकरण नहीं किया जाना चाहिए, जबकि बिना तारकोल वाली सड़कें मरम्मत के पश्चात् भी बिना तारकोल वाली रहेंगी और केवल मूल रूप से तारकोल वाली सड़कों की मरम्मत और तारकोल किया जाएगा और सड़कों को उनके वर्तमान स्वरूप और वर्तमान चौड़ाई में सर्वोत्तम रीति से बनाए जिससे उसकी मरम्मत की जा सके, और यदि यह एक विद्यमान तारकोल वाली सड़क है, तो इसे उसी रूप में बनाए रखा जाएगा, और तारकोल वाली सतह को चौड़ा नहीं किया जाएगा या सड़क को चौड़ा नहीं किया जाएगा, विद्यमान सड़कों का सुदृढ़ीकरण उचित पर्यावरणीय समाघात निर्धारण के साथ अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। राज्य वन विभाग और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शन दस्तावेज़ वन्यजीवों पर रैखिक"

		अवसंरचना के प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरणके "अनुकूल उपाय-अनुसार शमन उपाय।
28.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगें।
29.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन ।	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित और भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गुजरने वाले राज्य राजमार्ग 30 पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच निर्बंधन जारी रहेगा।
30.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगें।
31.	मछली पकड़ना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगें।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात है। तथापि, इनमें से कुछ क्रियाकलापों के अत्यधिक विस्तार को आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए।
33.	आवास, कृषि और अन्य स्व-निर्वाह प्रयोजनों के लिए विद्युत केबलों का निर्माण।	भूमिगत केबलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन का प्रयोग ।	जैविक गैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. केंद्रीय सरकार एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

(i)	प्रादेशिक आयुक्त, बेलागाव	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, बेलागावी जिला	सदस्य, पदेन;
(iii)	पुलिस अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि - बेलगावी जिला	सदस्य, पदेन;
(iv)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(v)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कर्नाटक का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(vi)	ऊर्जा विभाग, कर्नाटक का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(vii)	पर्यटन विभाग, कर्नाटक का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;

(viii)	ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, कर्नाटक का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(ix)	लोक कार्य, पत्तन और अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग, कर्नाटक का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(x)	स्वास्थ्य विभाग, कर्नाटक का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(xi)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक का प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(xii)	पशुपालन विभाग, कर्नाटक के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(xiii)	लघु सिंचाई विभाग, कर्नाटक के प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(xiv)	कर्नाटक राज्य के ख्यातिप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष के लिए समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(xv)	प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, जिन्हें कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष के लिए समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(xvi)	उप वन संरक्षक, प्रादेशिक प्रभाग, बेलगावी	सदस्य–सचिव, पदेन;

6. मानीटरी समिति के कार्य:- (1) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित है, और जो परिस्थितकी संवेदी जोन में आए हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथानिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या यथास्थिति, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उन क्रियाकलापों की, जो उप पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करने में सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति मामला- दर -मामला के आधार पर अपेक्षाओं के आधार पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष 30 जून तक राज्य में मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-ज** में विनिर्दिष्ट निदर्शन पत्र के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय: - इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

[फा. सं. 25/158/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ .सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

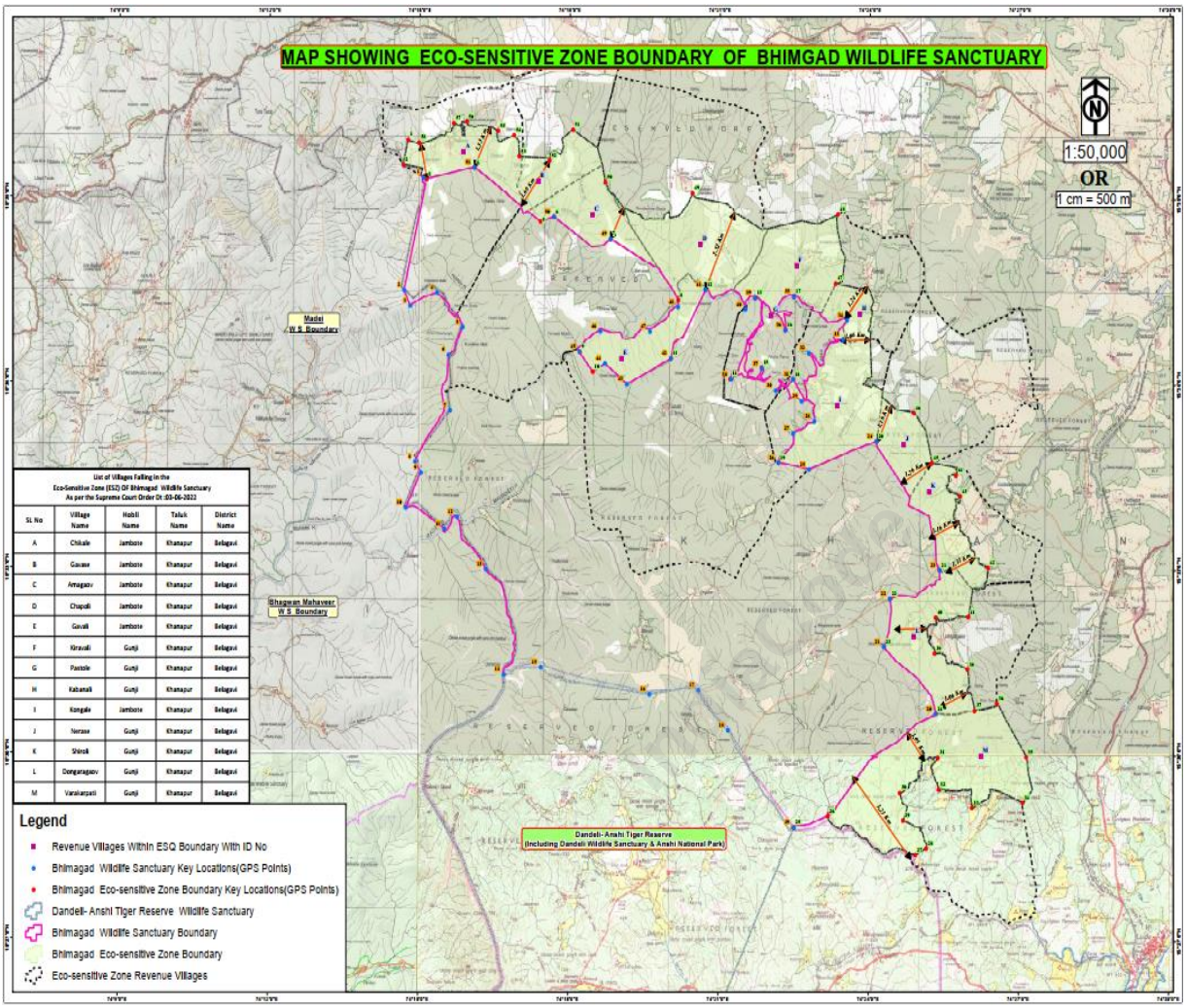
उपाबंध - क

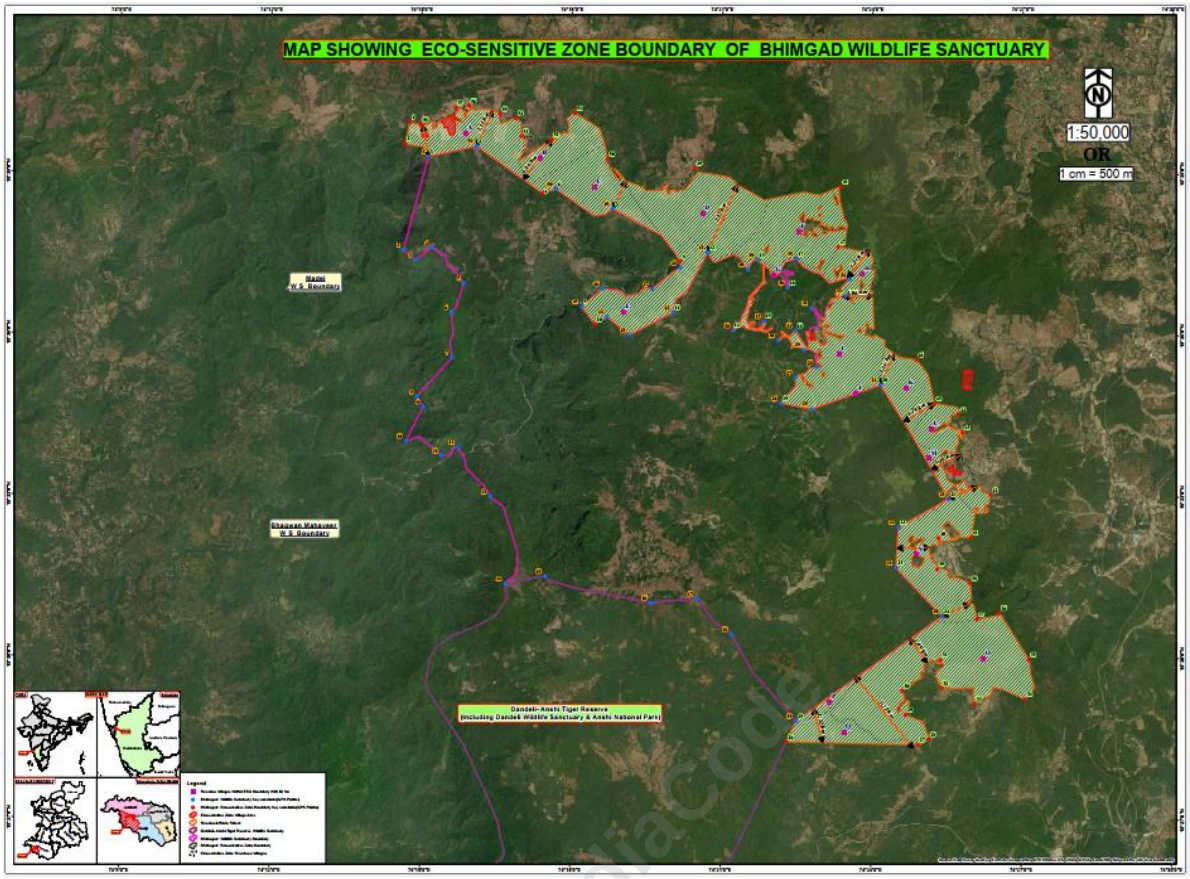
भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर:	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा परवाड़ ग्राम के निकट 15° 39' 55.972" उ, 74° 14' 46.070" पू से आरंभ होकर और जीपीएस बिंदु 15° 39' 16.500" उ, 74° 17' 22.207" पू के साथ गवासे ग्राम की ओर जाती है। यह सर्वे सं. 8 पर जीपीएस बिंदु 15° 38' 44.070" उ, 74° 18' 27.404" पू के साथ अमागव ग्राम के साथ सामान्य सीमा साझा करती है, यह दाएं ओर मुड़कर और जीपीएस बिंदु 15° 38' 15.655" उ, 74° 20' 37.043" पू के साथ चापोली ग्राम की ओर मुड़ती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा कोटनीनदी से होते हुए और जीपीएस बिंदु 15° 36' 30.832" उ, 74° 18' 12.327" पू पर मुड़कर और इसके अतिरिक्त गवाली ग्राम की सर्वे सं. 70 की सीमा में पुनः जाती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा जीपीएस बिंदु 15° 37' 55.620" उ, 74° 22' 31.882" पू के साथ कपोली क चापोली और किरावली ग्रामों के साथ सामान्य सीमा साझा करती है। जीपीएस बिंदु 15° 36' 52.459" उ, 74° 22' 19.008" पू के साथ भूमि का छोटा भाग पस्टोले ग्राम के साथ संबंधित हे। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा जीपीएस बिंदु 15° 37' 8.297" उ, 74° 23' 48.479" पू के साथ काबानली ग्राम के सर्वे सं. 52 तक सर्वे सं. 36 की सीमा सहित जाती है।
पूर्व:	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा जीपीएस बिंदु 15° 35' 39.440" उ, 74° 23' 21.121" पू के साथ काबानाली से आरंभ होकर और कानगले ग्राम तक जाती है और पुनः सर्वे सं. 43, सर्वे सं. 44 और सर्वे सं. 25 की सीमा के साथ जाकर और जीपीएस बिंदु 15° 34' 15.666" उ, 74° 25' 11.594" पू के साथ सर्वे सं. 97, 96 में शीरोली ग्राम और सर्वे सं. 125 में नरसे ग्राम में जाती है। इसके अतिरिक्त, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा जीपीएस बिंदु 15° 34' 55.597" उ, 74° 23' 40.982" पू में नरसे और जामगांव ग्राम और जीपीएस बिंदु 15° 33' 42.894" उ, 74° 25' 8.580" पू के साथ नरसे अबानली ग्राम के साथ जाती है।
दक्षिण:	उपर्युक्त बिंदु से, सीमा जीपीएस बिंदु 15° 34' 11.637" उ, 74° 25' 49.089" पू से होते हुए डोंगरगांव ग्राम में जाती है और हल्टारा नाला को पार करके और इसके अतिरिक्त जीपीएस बिंदु 15° 29' 59.861" उ, 74° 26' 14.173" पू के साथ वाराकर पती ग्राम की ओर मुड़ती है। इसके बाद सीमा हेम्मादगई वाराकरपती ग्राम के साथ जाकर और जीपीएस बिंदु 15° 28' 36.783" उ, 74° 23' 27.491" पू पर उत्तर कन्नड़ के देवूली ग्राम में जाकर और तारवा नदी को पार करके और अंतः जीपीएस बिंदु 15° 28' 26.319" उ, 74° 22' 18.503" पू पर डंडेली अंसी बाघ रिज़र्व से जुड़ती है।
पश्चिम:	उपर्युक्त बिंदु से, सीमा भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और डंडेली वन्यजीव अभयारण्य की सामान्य सीमा से होते हुए, यह गोवा और कर्नाटक राज्यों की अंतरराज्यीय सीमा तक पहुंचती है। इसके बाद अंतरराज्यीय सीमा के साथ जाती है, यह आरंभिक बिंदु तक पहुंचती है।

उपाबंध - ख

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र





उपाबंध - ग

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की संरक्षित क्षेत्र सीमा और पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के भूमंडलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक

क- भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थान (भूमंडलीय स्थिति प्रणाली)

पहचान बिंदु	अक्षांश	देशांतर
1	15° 39' 17.824" उ	74° 15' 8.283" पू
2	15° 37' 33.566" उ	74° 14' 38.632" पू
3	15° 37' 22.233" उ	74° 14' 53.144" पू
4	15° 37' 35.888" उ	74° 15' 12.495" पू
5	15° 36' 56.704" उ	74° 15' 50.955" पू
6	15° 36' 23.875" उ	74° 15' 36.013" पू
7	15° 35' 33.765" उ	74° 15' 37.243" पू
8	15° 34' 49.465" उ	74° 14' 54.959" पू
9	15° 34' 38.681" उ	74° 15' 2.717" पू
10	15° 34' 0.322" उ	74° 14' 42.498" पू

पहचान बिंदु	अक्षांश	देशांतर
11	15° 33' 44.118" उ	74° 15' 24.996" पू
12	15° 33' 53.768" उ	74° 15' 44.741" पू
13	15° 32' 58.636" उ	74° 16' 23.451" पू
14	15° 31' 21.526" उ	74° 16' 41.706" पू
15	15° 31' 30.043" उ	74° 17' 29.571" पू
16	15° 31' 1.035" उ	74° 19' 35.949" पू
17	15° 31' 5.700" उ	74° 20' 31.167" पू
18	15° 30' 26.257" उ	74° 21' 12.532" पू
19	15° 28' 49.597" उ	74° 22' 30.251" पू
20	15° 30' 46.685" उ	74° 25' 24.960" पू
21	15° 31' 40.818" उ	74° 24' 29.412" पू
22	15° 32' 25.818" उ	74° 24' 32.292" पू
23	15° 32' 57.498" उ	74° 25' 32.412" पू
24	15° 35' 4.578" उ	74° 24' 10.332" पू
25	15° 34' 37.447" उ	74° 22' 47.932" पू
26	15° 34' 43.965" उ	74° 22' 10.903" पू
27	15° 35' 12.270" उ	74° 22' 28.710" पू
28	15° 35' 23.960" उ	74° 22' 53.792" पू
29	15° 35' 43.415" उ	74° 22' 38.672" पू
30	15° 35' 53.646" उ	74° 22' 7.555" पू
31	15° 36' 4.992" उ	74° 22' 28.359" पू
32	15° 36' 30.385" उ	74° 22' 47.160" पू
33	15° 36' 43.509" उ	74° 23' 28.228" पू
34	15° 37' 2.329" उ	74° 23' 32.929" पू
35	15° 37' 24.960" उ	74° 22' 29.217" पू
36	15° 36' 52.459" उ	74° 22' 19.008" पू
37	15° 36' 15.008" उ	74° 21' 51.217" पू

IndiaCode

पहचान बिंदु	अक्षांश	देशांतर
38	15° 36' 4.725" उ	74° 21' 14.297" पू
39	15° 37' 23.709" उ	74° 21' 42.735" पू
40	15° 37' 12.590" उ	74° 21' 31.071" पू
41	15° 37' 31.635" उ	74° 20' 42.959" पू
42	15° 36' 24.782" उ	74° 20' 1.725" पू
43	15° 35' 59.572" उ	74° 19' 9.299" पू
44	15° 36' 19.670" उ	74° 18' 42.768" पू
45	15° 36' 30.832" उ	74° 18' 12.327" पू
46	15° 36' 50.867" उ	74° 18' 37.149" पू
47	15° 36' 50.716" उ	74° 19' 36.580" पू
48	15° 37' 14.547" उ	74° 20' 10.161" पू
49	15° 38' 20.416" उ	74° 18' 49.208" पू
50	15° 38' 42.043" उ	74° 17' 41.244" पू
51	15° 39' 29.538" उ	74° 16' 5.772" पू

ख- पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा पर मुख्य स्थान (भूमंडलीय स्थिति प्रणाली)

पहचान बिंदु	अक्षांश	देशांतर
1	15° 39' 55.972" उ	74° 14' 46.070" पू
2	15° 39' 31.808" उ	74° 14' 40.372" पू
3	15° 39' 18.043" उ	74° 15' 8.065" पू
4	15° 39' 29.538" उ	74° 16' 5.772" पू
5	15° 38' 37.338" उ	74° 17' 24.972" पू
6	15° 38' 42.043" उ	74° 17' 41.244" पू
7	15° 38' 20.416" उ	74° 18' 49.208" पू
8	15° 37' 21.668" उ	74° 20' 10.387" पू
9	15° 36' 30.832" उ	74° 18' 12.327" पू
10	15° 36' 11.658" उ	74° 18' 27.977" पू
11	15° 36' 24.782" उ	74° 20' 1.725" पू

IndiaCode

पहचान बिंदु	अक्षांश	देशांतर
12	15° 37' 31.635" उ	74° 20' 42.959" पू
13	15° 37' 23.709" उ	74° 21' 42.735" पू
14	15° 36' 4.910" उ	74° 21' 12.889" पू
15	15° 36' 15.976" उ	74° 21' 50.536" पू
16	15° 36' 52.459" उ	74° 22' 19.008" पू
17	15° 37' 24.960" उ	74° 22' 29.217" पू
18	15° 36' 4.992" उ	74° 22' 28.359" पू
19	15° 34' 43.965" उ	74° 22' 10.903" पू
20	15° 35' 4.578" उ	74° 24' 10.332" पू
21	15° 32' 57.498" उ	74° 25' 32.412" पू
22	15° 32' 25.818" उ	74° 24' 32.292" पू
23	15° 31' 40.818" उ	74° 24' 29.412" पू
24	15° 30' 46.685" उ	74° 25' 24.960" पू
25	15° 28' 49.597" उ	74° 22' 30.251" पू
26	15° 28' 26.319" उ	74° 22' 18.503" पू
27	15° 28' 23.380" उ	74° 24' 56.166" पू
28	15° 28' 29.705" उ	74° 25' 9.093" पू
29	15° 28' 56.827" उ	74° 24' 41.271" पू
30	15° 29' 23.688" उ	74° 24' 37.357" पू
31	15° 29' 57.893" उ	74° 25' 22.899" पू
32	15° 29' 26.917" उ	74° 25' 23.915" पू
33	15° 29' 9.347" उ	74° 26' 3.865" पू
34	15° 29' 14.466" उ	74° 27' 4.633" पू
35	15° 29' 58.850" उ	74° 27' 8.658" पू
36	15° 30' 50.719" उ	74° 26' 33.410" पू
37	15° 30' 43.549" उ	74° 26' 6.808" पू
38	15° 31' 23.790" उ	74° 25' 58.176" पू

IndiaCode

पहचान बिंदु	अक्षांश	देशांतर
39	15° 31' 39.051" उ	74° 25' 18.731" पू
40	15° 32' 13.947" उ	74° 25' 19.975" पू
41	15° 32' 14.691" उ	74° 25' 59.104" पू
42	15° 33' 2.296" उ	74° 26' 22.488" पू
43	15° 34' 11.637" उ	74° 25' 49.089" पू
44	15° 34' 31.727" उ	74° 25' 43.909" पू
45	15° 34' 43.915" उ	74° 25' 14.881" पू
46	15° 35' 32.733" उ	74° 24' 53.097" पू
47	15° 37' 38.002" उ	74° 23' 19.267" पू
48	15° 38' 45.234" उ	74° 23' 21.981" पू
49	15° 39' 5.411" उ	74° 20' 27.259" पू
50	15° 39' 15.596" उ	74° 18' 42.697" पू
51	15° 40' 6.488" उ	74° 18' 3.859" पू
52	15° 39' 36.595" उ	74° 17' 35.797" पू
53	15° 39' 40.634" उ	74° 16' 59.324" पू
54	15° 40' 0.888" उ	74° 16' 53.152" पू
55	15° 40' 5.279" उ	74° 16' 34.000" पू
56	15° 40' 14.367" उ	74° 15' 56.429" पू
57	15° 40' 12.271" उ	74° 15' 40.852" पू
58	15° 39' 53.361" उ	74° 14' 59.031" पू

IndiaCode

उपाबंध - घ

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का विवरण

क्र. सं.	ग्राम का नाम	होबली का नाम	तालुका का नाम	जिला का नाम	अक्षांश	देशांतर	क्षेत्र हेक्टर में
1.	चिकाले	जंबोटी	खानापुर	बेलागावी	15° 39' 44.191" उ	74° 15' 52.464" पू	23.3
2.	गावासे	जंबोटी	खानापुर	बेलागावी	15° 39' 16.500" उ	74° 17' 22.207" पू	21.86
3.	अमागाव	जंबोटी	खानापुर	बेलागावी	15° 38' 44.070" उ	74° 18' 27.404" पू	9.76
4.	चापोली	जंबोटी	खानापुर	बेलागावी	15° 38' 15.655" उ	74° 20' 37.043" पू	17.95
5.	गावाली	जंबोटी	खानापुर	बेलागावी	15° 36' 24.654" उ	74° 19' 2.350" पू	129.9

6.	किरावली	गुंजी	खानापुर	बेलागावी	15° 37' 55.620" उ	74° 22' 31.882" पू	65.28
7.	पास्टोली	गुंजी	खानापुर	बेलागावी	15° 37' 7.018" उ	74° 22' 2.240" पू	23.75
8.	काबानाली	गुंजी	खानापुर	बेलागावी	15° 37' 8.297" उ	74° 23' 48.479" पू	8.30
9.	कोंगाले	जंबोटी	खानापुर	बेलागावी	15° 35' 39.440" उ	74° 23' 21.121" पू	102.22
10.	नेरासे	गुंजी	खानापुर	बेलागावी	15° 35' 1.323" उ	74° 24' 41.428" पू	1.05
11.	शिरोली	गुंजी	खानापुर	बेलागावी	15° 34' 15.666" उ	74° 25' 11.594" पू	94.42
12.	डोंगरागाव	गुंजी	खानापुर	बेलागावी	15° 31' 55.707" उ	74° 24' 53.680" पू	22.66
13.	वराकरपति	गुंजी	खानापुर	बेलागावी	15° 29' 59.861" उ	74° 26' 14.173" पू	4.59
					कुल		**525.04**

उपाबंध – ङ

भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के भीतर स्थित आरक्षित वन क्षेत्र का विवरण

मानचित्र की पहचान	ग्राम का नाम	तालुका	अक्षांश	देशांतर	क्षेत्र हेक्टर में	अधिसूचना संख्या
1	चिकाले	खानापुर	15.6649	74.2608	415.96	7एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894 1042-29/3/1921
2	गावासे	खानापुर	15.6641	74.299	794.42	7एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894 1042-29/3/1921
3	चापोली	खानापुर	15.6649	74.3311	2384.22	7एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894 1098-1/2/1919 1042-29/3/1921
4	अमागाव	खानापुर	15.6466	74.3065	633.96	7एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894 1042-29/3/1921 एएफओ265एफएएफजी-24/11/1959
5	गावाली	खानापुर	15.6201	74.3352	192.58	एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894

IndiaCode

मानचित्र की पहचान	ग्राम का नाम	तालुका	अक्षांश	देशांतर	क्षेत्र हेक्टर में	अधिसूचना संख्या
6	पास्टोली	खानापुर	15.6157	74.365	461.6	एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894
7	काबानाली	खानापुर	15.6307	74.3818	611.17	एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894 5697-19-3-1927
8	कोंगाला	खानापुर	15.5936	74.3936	1576.78	एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894 1356-19/5/1920
9	नेरसे	खानापुर	15.5997	74.4197	169.24	एफ-1/3/1879 7425-9/11/1888 15471-14/9/1936 524-27/11/1903
10	शिरोली	खानापुर	15.5643	74.43	364.23	एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894 1356-19/5/1920
11	डोंगारगाव	खानापुर	15.5333	74.4382	1349.07	एफ-1/3/1879 5618-2/7/1894 6008-24/6/1911
12	वारकाडपते	खानापुर	15.4957	74.4304	2460.02	5618-2/7/1894 9494-10/7/1894 3655-21/2/1924 एफ-1/3/1879
				कुल	**11413.25**	

IndiaCode

उपाबंध - च

पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के भीतर शामिल राजस्व भूमि

क्र. स.	ग्राम	राजस्व सर्वे संख्या	क्षेत्र (हेक्टर)
1	वारकाडपते	116	2.38
		22	0.9
		129	1.31
		योग	**4.59**
2	डोंगारागाव	54	1.31
		55	2.53
		52	3.34
		64	1.63
		11	7.40
		09	6.45
		योग	**22.66**
3	शिरोली	199	1.94
		22	0.40
		23	0.50
		24	2.87
		25	3.44
		26	1.31
		34	0.50
		35	0.20
		36	6.0
		33	3.13
		29	2.04
		30	1.61
		15	3.03
		18	0.82
		31	2.22
		32	2.53
		37	2.73
		38	0.2
		50	7.79
		51	1.92

IndiaCode

		48	0.76
		49	3.74
		44	0.32
		43	5.16
		42	3.74
		41	7.08
		40	0.6
		39	0.36
		191	0.91
		192	0.6
		193	1.31
		184	3.94
		183	1.0
		188	1.10
		189	0.35
		182	5.97
		10	2.1
		185	1.6
		14	6.1
		19	0.3
		17	0.9
		26	1.3
		योग	**94.42**
4	नेरसे	126	1.05
		योग	**1.05**
5	कोंगाला	47	1.2
		48	0.8
		49	1.7
		50	2.3
		58	4.2
		83	0.8
		84	0.45
		28	0.68
		26	0.24
		30	0.29

IndiaCode

		39	0.69
		37	2.31
		40	0.89
		41	0.68
		42	0.24
		31	2.9
		33	4.6
		32	2.8
		23	0.79
		22	6.2
		21	0.8
		20	2.4
		19	0.84
		18	0.32
		17	0.10
		16	0.51
		15	1.36
		14	5.2
		86	4.2
		87	8.2
		89	2.3
		12	1.31
		03	0.45
		01	1.31
		70	1.3
		04	0.48
		05	0.14
		06	0.05
		07	0.06
		08	0.12
		09	4.2
		10	1.8
		11	7.2
		85	1.82
		90	0.08
		60	1.32

IndiaCode

		61	2.92
		55	5.2
		56	0.09
		57	0.93
		62	4.3
		63	1.2
		65	0.45
		66	0.9
		67	1.5
		68	0.8
		69	1.3
		योग	**100.91**
06	काबानाली	27	5.6
		57	2.7
		योग	**8.5**
07	चिकाले	08	4.29
		09	4.53
		02	6.2
		06	4.8
		73	1.22
		69	2.26
		योग	**23.3**
08	गावासे	11पी	21.86
		योग	**21.86**
09	अमागाव	01	1.36
		02	1.90
		17	2.3
		28	4.2
		योग	**9.76**
10	किरावाले	1	0.98
		2	0.71
		3	0.32
		4	1.23
		5	0.36
		6	1.70

IndiaCode

		7	3.51
		8	2.19
		9	0.56
		10	0.53
		11	2.14
		12	0.94
		13	1.90
		14	2.18
		15	1.29
		16	6.98
		17	0.49
		18	0.89
		19	0.50
		20	0.12
		21	4.2
		22	2.8
		23	1.8
		26	0.9
		28	0.53
		29	2.48
		30	0.15
		31	0.78
		32	0.87
		33	0.65
		34	4.12
		35	2.39
		36	2.15
		37	3.77
		38	0.38
		39	1.44
		40	0.45
		41	4.93
		42	0.97
		योग	**65.28**
11	पास्टोली	1	1.76
		2	1.30

IndiaCode

		3	0.51
		4	0.26
		5	0.56
		6	0.07
		7	0.12
		8	0.10
		9	0.13
		10	0.12
		11	0.50
		12	0.56
		13	0.6
		15	0.77
		16	0.14
		17	0.53
		18	0.49
		19	0.31
		20	0.15
		21	0.08
		22	0.85
		23	0.11
		24	0.19
		25	0.46
		26	0.38
		28	0.10
		29	2.10
		30	0.66
		31	0.29
		32	1.07
		33	0.09
		34	0.16
		35	0.09
		37	0.15
		38	1.72
		41	1.30
		42	1.77
		43	1.77

IndiaCode

		44	0.47
		45	0.10
		46	0.13
		47	0.73
		योग	**23.75**
12	चापोली	23	4.75
		29	0.9
		28	4.6
		57	2.8
		33	4.9
		योग	**17.95**
13	गावाली	71	83.8
		72	46.1
		योग	**129.9**
		कुल योग	**525.04**
टिप्पणी: उल्लिखित सभी राजस्व सर्वे संख्याएं पूरी तरह से पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सम्मिलित हैं			

IndiaCode

उपाबंध – छ

आरक्षित वन भूमि जो विभिन्न ग्रामों की पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सम्मिलित है

क्र. स.	**ग्राम**	**वन सर्वे संख्या**	**क्षेत्र (हे)**	**टिप्पणियां**
1	कोंगाला	51	5.66	
		52	4.85	
		53	4.54	
		54	1542.77	
		34	0.56	
		29	0.95	
		27	8.21	
		88	3.72	
		82	2.67	
		80	0.08	
		81	0.48	
		79	0.12	

		64	0.02	
		41	0.33	
		42	1.16	
		13	0.35	
		02	0.16	
		45	0.09	
		46	0.06	
		योग	**1576.63**	
2	काबानाली	59	7.50	
		60	1.18	
		58	1.38	
		56	601.11	
		योग	**611.17**	
3	चिकाले	07	1.11	
		04	4.75	
		05	9.2	
		79	236.2	
		75	4.28	
		01	160.0	
		74	0.12	
		03	0.3	
		योग	**415.96**	
4	गावासे	04	794.42	
		योग	**794.42**	
5	अमागाव	07पी	629.41	
		03	4.55	

IndiaCode

		योग	**633.96**	
6	पास्टोली	27	124.29	
		57	337.31	
		योग	**461.6**	
7	वरकड़पेट	127	198.68	
		89	120.14	
		136	2141.2	
		योग	**2460.02**	
8	डोंगरागांव	10	113.06	
		62	1139.76	
		49	6.95	
		7	7.82	
		8	6.92	
		50	8.09	
		51	8.24	
		53	6.62	
		56	6.83	
		57	7.02	
		58	5.79	
		65	6.51	
		66	4.09	
		67	7.79	
		68	6.18	
		69	7.00	
		30	0.40	
		योग	**1349.07**	
9	शिरोली	197	146.55	

IndiaCode

		200	127.51	
		198	1.73	
		186	62.79	
		196	9.05	
		27	1.01	
		28	7.37	
		190	8.22	
		योग	**364.23**	
10	नर्स	110पी	**169.24**	
11	चपोली	61	2379.68	
		24	4.54	
		योग	**2384.22**	
12	गावली	70पी	**192.58**	
		कुल योग	**11413.25**	

उपाबंध - ज

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का रूपविधान :

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार)। ब्यौरे उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 4th December, 2024

S.O. 5226(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 3565(E), dated the 9th August, 2023, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 10th August, 2023;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in respect of the said draft notification have been considered by the Central Government;

AND WHEREAS, Bhimgad Wildlife Sanctuary is spread in the catchment area of Mahadayi River in Khanapur taluk of Belagavi district in Karnataka and it shares boundary with Dandeli Wildlife Sanctuary in Uttar Kannada district of Karnataka and Mahadayi Wildlife Sanctuary in Goa and the total area of the Sanctuary is 19042.58 Hectare and the Sanctuary has been carved out of reserve forest areas with high floral and faunal diversity;

AND WHEREAS, Western Ghats due to their unique location play a vital role for conservation of biodiversity in the Indian peninsula and the ecological abundance supported by them, their rich biodiversity and sensitive geomorphology add further uniqueness and Bhimgad region has extensive biodiversity and provides corridor for tiger and other wild animals with adjacent protected areas and Barapede cave of Bhimgad is the only known roosting site for Wroughton's Free Tailed bats in India and Bhimgad region is also one of rare habitats in the country for Theobalds's tomb bat at Krishnapur caves;

AND WHEREAS, the area is in the core zone of Western Ghats comprising of semi evergreen and evergreen dense forests with steep slopes and the region is having rich floral and faunal diversity and it is habitat for Critically endangered and endemic Species Like Wroughton's free tailed bats (*Otomops wroughtoni*) and Theobald's tomb bats (*Taphozous theobaldi*) and Barapede caves are known to be the only roosting and breeding place for Wroughton's free tailed bats in India and this region with rich biodiversity is located in the east of Mahadayi Wildlife Sanctuary in Goa and in the north of Dandeli Wildlife Sanctuary in Karnataka and this entire stretch acts as natural corridor for tigers and other wildlife between Dandeli Wildlife Sanctuary, Kali Tiger Reserve, Bhagwan Mahaveer and Mahadayi Wildlife Sanctuaries and this area is the place of origin and Catchment basin for many important rivers like Mahadayi, Bailnadi, etc. apart from number of streams and the area encompasses several geo-morphological lime stone formations with lots of caves, which support wide variety of fauna and flora endemic to this location and apart from above, the Sanctuary covers historical Bhimgad fort ruins, which needs to be protected;

AND WHEREAS, Dominant tree species in Evergreen forests of Bhimgad Wildlife Sanctuary are Anjan (*Memecylon edule*), Hebbalasu (*Artocarpus hirsutus*), Wate (*Artocarpus lakoocha*), Rampatri (*Myristica malabaricum*), Dalchini (*Cinnamomum sps*), Nandi (*Lagerstroemia lanceolata*), Dhup (*Vateria indica*), Ashok (*Saracaindica*), Fishtail palm (*Caryotaurens*), Gowada (*Mappia foetida*), Harada (*Terminalia chebula*), Kaval (*Careya arborea*), Amla (*Emblica officinalis*), Tare (*Terminalia bellirica*), Honne (*Pterocarpus marsupium*), Kindal (*Terminalia paniculata*), Shisham (Dalbergia latifolia), Jack (*Artocarpus spp*), Murki (*Buchanania lanzan*), Dhup (*Dipterocarpus indicus*), etc. ;

AND WHEREAS, Bhimgad Wildlife Sanctuary is a rich reservoir of medicinal plants and one such area in semi evergreen forests of Amagoan has been identified for Medicinal Plants Conservation Area during 2010-11 and out of the recorded species, about 82 percent of the plants are found to be of medicinal value and around 47 percent of the recorded plant species are trees, followed by shrubs, 28 percent and herbs, 18 percent and the area is also home to several endemic plant species such as *Ancistrocladus heyneanus*, *Diospyros paniculata*, *Euonymus indicus*, *Mastixia arborea*, etc. and several among the recorded medicinal plants such as *Aristolochia tagala*, *Diospyros montana*, *Emblica officinalis*, *Garcinia indica*, *Nothapodytes nimmoniana*etc are with high medicinal and economic value;

AND WHEREAS, Bhimgad wildlife Sanctuary is a habitat for variety of mammals, reptiles, birds, butterflies and other insects. apart from the fact that Bhimgad is the only known place for roosting and breeding of Wroughton free tailed bats, the region has other important predator and prey animals presence of resident tigers and their good prey base in the sanctuary indicates it is a good habitat for the Tigers and the Sanctuary is home to variety of Fauna such as Sambar (*Cervus unicolor*), Indian Gaur (*Bos gauras*), Four Horned Antelope (Tetracerus quadricornis), Barking deer (*Muntiacus muntjak*), Wild boar (*Sus scrofa*), Indian crested porcupine (*Hystix indica*), Indian spotted chevrotain (*Tragulus meminna*), Red Slender Loris (*Loris tardigradus*), Chital (*Axis axis*), Leopard (*Panthera pardus*), Dhole or Indian Wild Dog (*Cuon alpinus*), Leopard Cat (*Felis bengalensis*) Sloth Bear (*Melursus ursinus*), Golden Jackal (*Canis aureus*), Python (*Python molurus*), King Cobra (*Ophiophagus hannah*), Russell's viper (*Daboia russelii*), Common Krait (*Bungarus caeruleus*), Rat snake (*Ptyas mucosa*), Vine Snake (*Ahaetulla nasuta*), Common Indian Monitor Lizard (*Varanus bengalensis*), Indian Flying Lizard (*Draco dussumieri*), Malabar

Gaint squirrel (*Ratufa indica*), etc., Bhimgad region is also considered as one of the most ideal habitats for tigers and six to eight tigers are known to be resident and also moving from the Sanctuary to the surrounding forests of Karnataka and Goa State;

AND WHEREAS, the Bhimgad Wildlife Sanctuary has a very good population of avifauna includes Great Indian hornbills and variety of Drongos, Wagtails, Wood peckers, Kingfishers, Eagles, Egrets, Sunbirds, Owls, Doves, etc. Grey Jungle fowl, Jungle myna, Crow, Pheasants, Paradise flycatcher, etc. are also commonly seen in the region;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Bhimgad Bird Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an Eco-senstive Zone around the boundary of Bhimgad Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of the Eco-Sensitive Zone- (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 117.75 square kilometer with an extent varying from 0 kilometer (Inter State Boundary and Kali Tiger Reserve) to 3.23 kilometer encompassing 13 villages around the boundary of the Bhimgad Wildlife Sanctuary.

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-A** and the maps of the Eco-sensitive Zone with key locations on its boundary is appended as **Annexure-B.**

(3) The Global Positioning System co-ordinates of key locations of protected area and Eco-sensitive Zone boundary are appended as **Annexure-C.**

(4) Details of villages that falls within the Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure–D** and the details of reserved forest area falling within the Eco-sensitive Zone boundary is appended as **Annexure-E**. and revenue area details within the Eco-sensitive Zone boundary are given at **Annexure-F** and reserved forest land with survey number that falls within the ambit of Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-G.**

(5) All activities in the forest block areas shall be governed by the provisions of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) and all the activities in the protected area (Sanctuary) shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), State Acts, Rules and Guidelines.

(6) A total area of **11413.25** hectare. of reserve forest and **525.04** hectare. of revenue area comes within the limits of Eco-sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone. - (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone, prepare and notify a Zonal Master Plan within two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and in conformity to the provisions of this notification.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in accordance with the provisions of this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan namely: -

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipality;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department, Karnataka Road Development Corporation Limited, National Highway Authority of India;

(xii) Hubballi Electricity Supply Company Limited;

(xiii) Police Department (Home);

(xiv) Karnataka State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendlier.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks and it's like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local community's livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Until the preparation of the Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone, all new construction and other developmental activities shall be referred to the Monitoring Committee.

3. Measures to be taken by the State Government. - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as,-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii)small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism. - (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with the Departments of Environment and Forests of the State Government;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(ii) until the Zonal Master Plan is prepared and approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the regulatory authorities concerned based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage. - All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites. - Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.

(7) Air pollution. - Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

(8) Discharge of effluents. - The discharge of treated effluent in the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974).

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone**.**

(10) Bio-medical waste. – Bio-medical waste management shall be as under-

(a) Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016,

(b) Safe and Environmentally Sound Management of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016.

(12) Construction and demolition waste management. - The construction and demolition waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

(13) **E-waste**. - The E- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) **Vehicular traffic.** – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution.** - Prevention and control of vehicular pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel such as Compressed Natural Gas, etc.

(16) **Industrial units.** – (a) No new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone on or after the publication of this notification in the Official Gazette.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes.** - The protection of hill slopes shall be as under-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act, the rules made under there and other notifications, laws and acts of the Central Government, notification pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, Commercial quarrying, Stone Quarrying, Sand Mining and Crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order (s) of the Hon'ble Supreme Court in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012 and IA No. 1000 of 2003 judgment dated 03.06.2022 and subsequent IA No. 131377 of 2022 judgment dated 26.04.2023 and 28.04.2023.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

4.	Establishment of Industries	No new or expansion of existing industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
6.	Establishment of new major Hydroelectric projects, Thermal Power Plants, Nuclear Power Plants and irrigation projects.	Prohibited.
7.	Discharge of effluents and solid waste including medical waste in natural water bodies or terrestrial area.	Prohibited.
8.	Change in Land use pattern from Agriculture and Horticulture.	Prohibited in the Eco-sensitive Zone for commercial purposes such as resorts, establishment of industries, residential layouts.
9.	Commercial use of natural water resources including ground water harvesting for commercial mineral water plants, aerated drinks bottling plants, etc.	Prohibited.
10.	Use of Polythene bags by tourists, commercial hotels and resorts.	Prohibited.
11.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the Eco-sensitive Zone area by any Aircraft, Hot Air Balloons, Helicopter, Gliders, Parasailing, Drones, Microlites, etc.	Prohibited. however, Forest Department may use Drones for creating awareness on forest, environment and wildlife conservation for making documentaries for non-commercial purpose.
12.	Sign Boards and hoardings.	Prohibited, however, permitted within village limits of Eco-sensitive Zone and also permitted for Forest Department and user agencies such as Public Works Department, Karnataka Road Development Corporation Limited, Karnataka State Highways Improvement Project, National Highways Authority of India etc, to put in order to create awareness on wildlife such as sign boards to follow speed limit, etc. on public roads passing through Sanctuary and Eco-sensitive Zone in the interest of wildlife.
13.	Establishment of Farm Stays for Agro-Tourism, Home stays, Commercial Hotels and Resorts.	No new or expansion of existing establishment shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
14.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
15.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, corporates, etc.	Prohibited, however, initiatives on a small-scale by the local farmers are permitted.
16.	Setting up of brick kilns.	All new and existing brick kiln units are prohibited.
17.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment or processing facility of solid waste shall be permitted within the Eco-sensitive Zone and installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishments, hospitals, etc. shall be prohibited.
18.	Railways, Ropeways, Cable Cars.	Prohibited.
19.	Erection of electrical cables, transmission lines beyond 11 kilowatts.	Prohibited.
Regulated Activities		
20.	Commercial establishment of hotels and resorts.	New commercial hotels and resorts along with their expansion shall not be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of

		Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures only for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
21.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
22.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
23.	Commercial use of water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for local people for their *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use shall not be permitted. (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
24.	Erection of electrical cables, transmission lines.	Regulated as per applicable laws: Provided that any future laying of electric cables or transmission lines for domestic purposes up to 11Kilowatts, cabling has to be mandatorily done underground and indication tiles or cable protection covers shall be mandatorily put by the user agencies and the "sag" point between the two towers of existing electric lines should be at safe distance from the ground in order to avoid electrocution of wild animals.
25.	Telecommunication towers and Optical fiber cable lines.	Regulated as per applicable laws.
26.	Electric fencing, compound for commercial hotels or resorts or private homestays, private farms and large-scale commercial Agricultural	Regulated as per applicable laws.

	and horticultural ventures by firms, corporate houses, companies.	
27.	Widening and strengthening of existing roads.	No widening of existing roads shall be permitted, and the status of finishing of the surface of the repaired road(s) shall remain the same as that of the original road(s); i.e., no widening of the existing road should be done while untarred roads shall remain untarred after repairs and only originally tarred roads shall be repaired and tarred and the roads could be maintained and repaired in the best manner possible in their current form and present width and if it is an existing tarred road, it shall be maintained as such, and no widening of the tarred surface or the widening of the road itself shall be done, strengthening of the existing roads shall be done with proper Environmental Impact Assessment with mandatorily involving the State Forest Department and the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change and mitigation measures as per the guidance document "Eco-Friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife", Published by Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
28.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws and, restrictions on State Highway 30 passing through Bhimgad Wildlife Sanctuary and the Eco-sensitive Zone between 6pm to 6am shall continue.
30.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Fishing.	Regulated as per the applicable laws.
	Promoted Activities	
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals, however, excessive expansion of some of these activities should be regulated as per the Zonal Master Plan.
33.	Erection of electrical cables for housing, agricultural and other self-subsistence purposes.	Promote underground cabling.
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc. to be promoted.
38.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Environment Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee- The Central Government hereby constitute a Monitoring Committee consisting of the following namely: -

(i)	Regional Commissioner, Belagavi	Chairman, *ex officio*;
(ii)	Deputy Commissioner or his representative, Belagavi District	Member, *ex officio*;
(iii)	Superintendent of Police or his representative - Belagavi District	Member, *ex officio*;
(iv)	Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka	Member, *ex officio*;

(v)	Representative of Pollution Control Board, Karnataka	Member, *ex officio*;
(vi)	Representative of Energy Department, Karnataka	Member, *ex-officio*;
(vii)	Representative of Tourism Department, Karnataka	Member, *ex officio*;
(viii)	Representative of Rural Development and Panchayat Raj Department, Karnataka	Member, *ex officio*;
(ix)	Representative of Public Work, Ports and Inland Water Transport Department, Karnataka	Member, *ex officio*;
(x)	Representative of Health Department, Karnataka	Member, *ex officio*;
(xi)	Representative of Urban Development Department, Karnataka	Member, *ex officio*;
(xii)	Representative of Animal Husbandry Department, Karnataka	Member, *ex officio*;
(xiii)	Representative of Minor Irrigation Department, Karnataka	Member, *ex officio*;
(xiv)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Karnataka to be nominated by the State Government from time to time every three years	Member;
(xv)	Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the State Government from time to time every three years	Member;
(xvi)	Deputy Conservator of Forests, Territorial Division, Belagavi	Member- Secretary, *ex officio.*

IndiaCode

6. Functions of the Monitoring Committee.- (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinize the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities that are not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from the Departments concerned, representatives from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per proforma appended at **Annexure H**.

(6) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures. - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

[F. No. 25/158/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

ANNEXURE-A

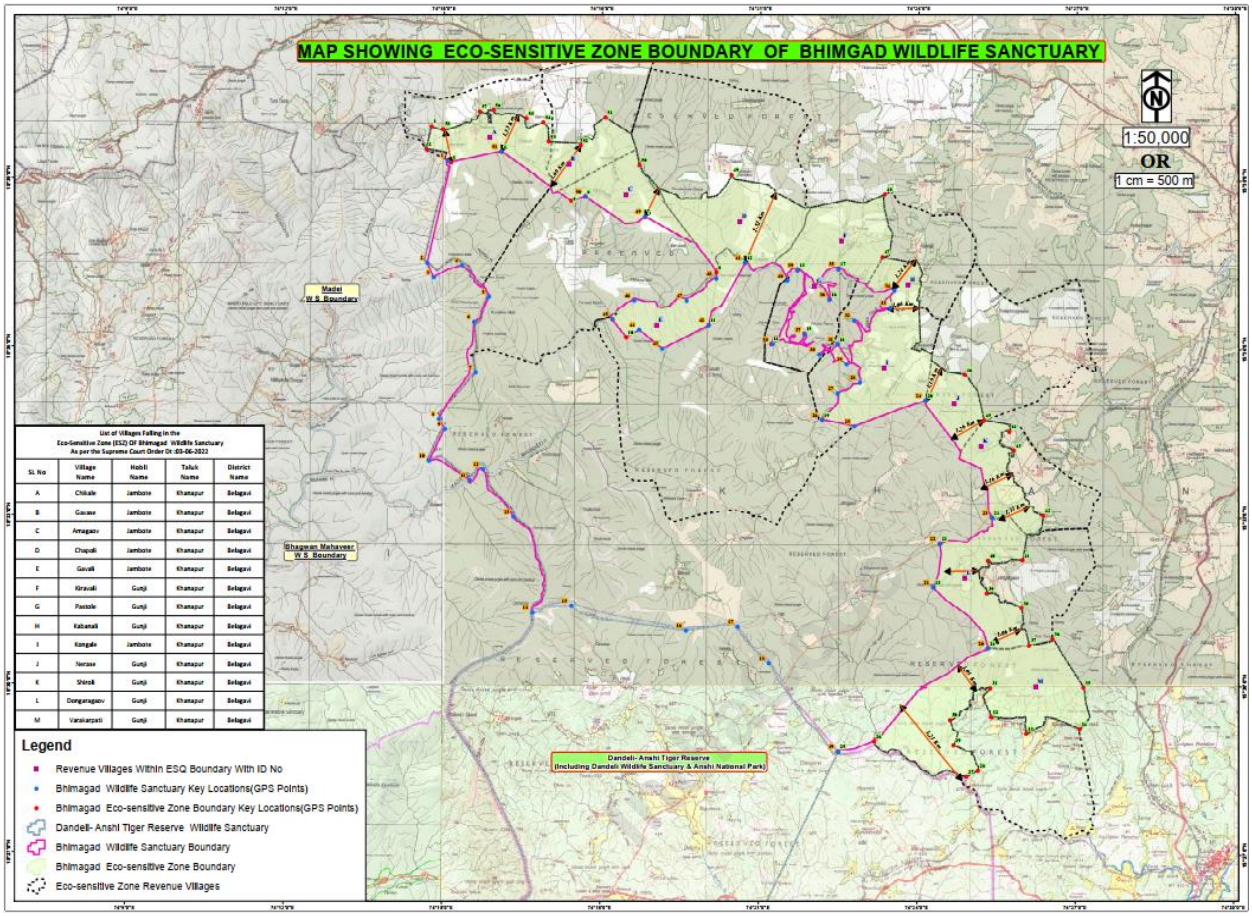
BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BHIMGAD WILDLIFE SANCTUARY

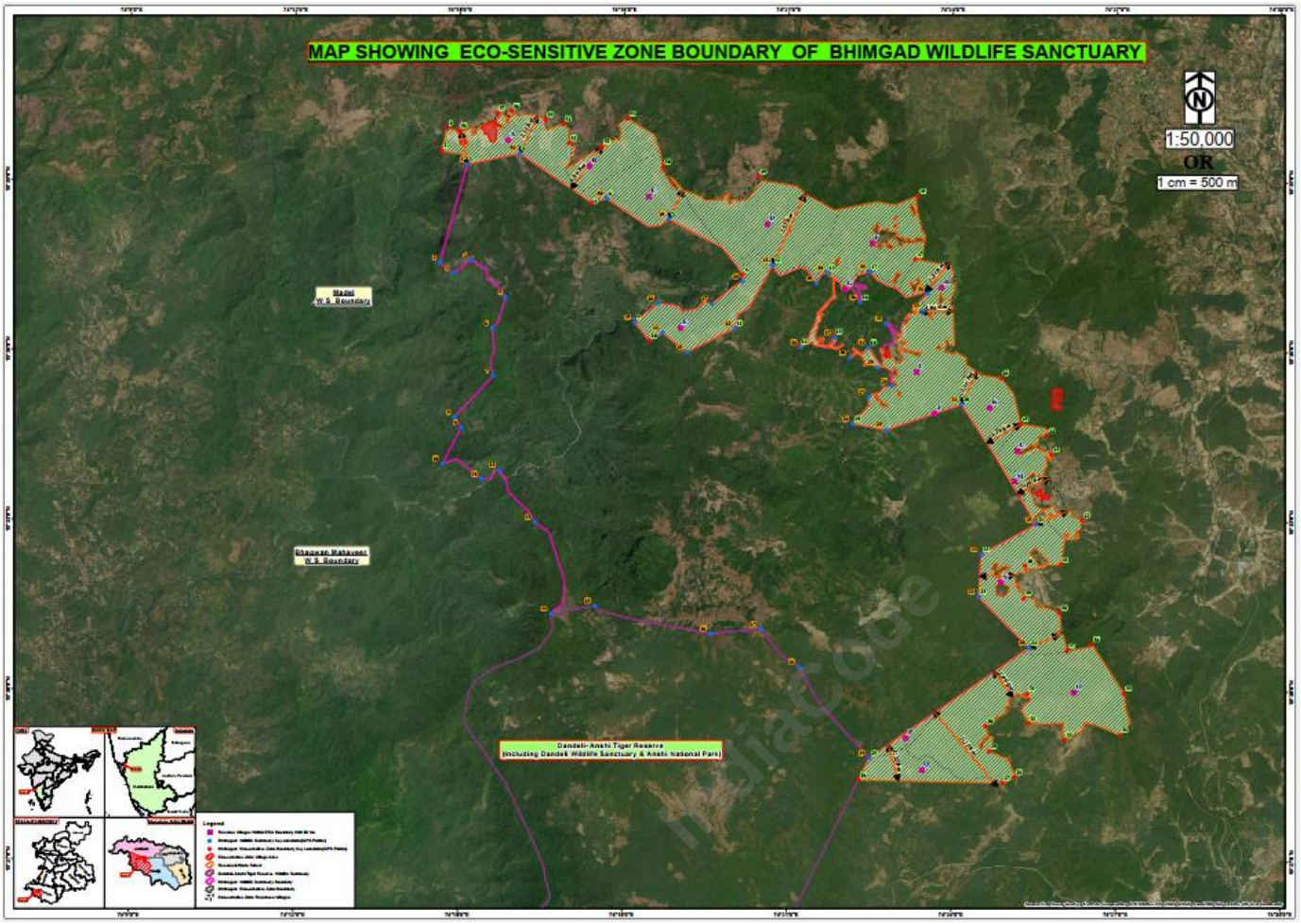
North:	The boundary of eco-sensitive zone starts at 15° 39' 55.972" N, 74° 14' 46.070" E near Parwad village and runs towards Gavase Village with GPS point 15° 39' 16.500" N, 74° 17' 22.207" E. It shares common boundary with Amagav Village with GPS points 15° 38' 44.070" N, 74° 18' 27.404" E. At Sy. No. 8 it takes right turn and moves further towards Chapoli Village with GPS point 15° 38' 15.655" N, 74° 20' 37.043" E. Then the boundary of ESZ follows Kotni Nadi and takes turn at GPS point 15° 36' 30.832" N, 74° 18' 12.327" E and further continues at the boundary of Sy. No. 70 of Gavali Village. The ESZ Boundary shares common boundary with Kapoli K. Chapoli and Kiravali villages with GPS point 15° 37' 55.620" N, 74° 22' 31.882" E. A smallportion of land belonging to Pastole Village falls within the ESZ Boundary with GPS point 15° 36' 52.459" N, 74° 22' 19.008" E.The ESZ Boundary runs along the boundary of Sy. No. 36 till Sy. 52 of Kabanali Village with the GPS point 15° 37' 8.297" N, 74° 23' 48.479" E.
East:	The ESZ boundary continues from Kabanali and enters Kongale Village with GPS point 15° 35' 39.440" N, 74° 23' 21.121" E and continues with the boundary of Sy. No. 43, Sy. No. 44 and Sy. No. 25 and enters Nerse Village at Sy. No. 125 and runs towards Shiroli Village at Sy. No. 97, 96 with GPS point 15° 34' 15.666" N, 74° 25' 11.594" E. Further, ESZ Boundary runs along the Nerse and Jamagaon Village at GPS Point 15° 34' 55.597" N, 74° 23' 40.982" E and Nerse Avanali Village with GPS Point 15° 33' 42.894" N, 74° 25' 8.580" E.
South:	From the above point the boundary enters Dongragaon Village through the GPS point 15° 34' 11.637" N, 74° 25' 49.089" E and crosses Haltara Nala and further moves towards Varakarpati Village with GPS point 15° 29' 59.861" N, 74° 26' 14.173" E. Then the boundary runs along Hemmadagai Varakarpati Village and enters Devuli Village of UTTARA Kannada District at GPS point 15° 28' 36.783" N, 74° 23' 27.491" E and crosses Tarva Nadi and finally joins Dandeli Anshi Tiger Reserve at GPS point 15° 28' 26.319" N, 74° 22' 18.503" E.
West :	From the above point the boundary runs through the common boundary of the Bhimgad Wildlife Sanctuary and the Dandeli Wildlife Sanctuary till it reaches the Interstate state boundary of the Goa and Karnataka states. Then runs all along the Interstate boundary till it reaches the starting point.

Gazette of India Extraordinary

ANNEXURE –B

MAP OF ECO SENSITIVE ZONE AROUND BHIMGAD WILDLIFE SANCTUARY





ANNEXURE-C

GLOBAL POSITIONING SYSTEM COORDINATES OF PROTECTED AREA BOUNDARY AND ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY AROUND BHIMGAD WILDLIFE SANCTUARY

A. Key Location (Global Positioning System) on Bhimgad Wildlife Sanctuary Boundary

POINT ID	LATITUDE	LONGITUDE
1	15° 39' 17.824" N	74° 15' 8.283" E
2	15° 37' 33.566" N	74° 14' 38.632" E
3	15° 37' 22.233" N	74° 14' 53.144" E
4	15° 37' 35.888" N	74° 15' 12.495" E
5	15° 36' 56.704" N	74° 15' 50.955" E
6	15° 36' 23.875" N	74° 15' 36.013" E
7	15° 35' 33.765" N	74° 15' 37.243" E
8	15° 34' 49.465" N	74° 14' 54.959" E
9	15° 34' 38.681" N	74° 15' 2.717" E
10	15° 34' 0.322" N	74° 14' 42.498" E
11	15° 33' 44.118" N	74° 15' 24.996" E
12	15° 33' 53.768" N	74° 15' 44.741" E
13	15° 32' 58.636" N	74° 16' 23.451" E

POINT ID	LATITUDE	LONGITUDE
14	15° 31' 21.526" N	74° 16' 41.706" E
15	15° 31' 30.043" N	74° 17' 29.571" E
16	15° 31' 1.035" N	74° 19' 35.949" E
17	15° 31' 5.700" N	74° 20' 31.167" E
18	15° 30' 26.257" N	74° 21' 12.532" E
19	15° 28' 49.597" N	74° 22' 30.251" E
20	15° 30' 46.685" N	74° 25' 24.960" E
21	15° 31' 40.818" N	74° 24' 29.412" E
22	15° 32' 25.818" N	74° 24' 32.292" E
23	15° 32' 57.498" N	74° 25' 32.412" E
24	15° 35' 4.578" N	74° 24' 10.332" E
25	15° 34' 37.447" N	74° 22' 47.932" E
26	15° 34' 43.965" N	74° 22' 10.903" E
27	15° 35' 12.270" N	74° 22' 28.710" E
28	15° 35' 23.960" N	74° 22' 53.792" E
29	15° 35' 43.415" N	74° 22' 38.672" E
30	15° 35' 53.646" N	74° 22' 7.555" E
31	15° 36' 4.992" N	74° 22' 28.359" E
32	15° 36' 30.385" N	74° 22' 47.160" E
33	15° 36' 43.509" N	74° 23' 28.228" E
34	15° 37' 2.329" N	74° 23' 32.929" E
35	15° 37' 24.960" N	74° 22' 29.217" E
36	15° 36' 52.459" N	74° 22' 19.008" E
37	15° 36' 15.008" N	74° 21' 51.217" E
38	15° 36' 4.725" N	74° 21' 14.297" E
39	15° 37' 23.709" N	74° 21' 42.735" E
40	15° 37' 12.590" N	74° 21' 31.071" E
41	15° 37' 31.635" N	74° 20' 42.959" E
42	15° 36' 24.782" N	74° 20' 1.725" E
43	15° 35' 59.572" N	74° 19' 9.299" E
44	15° 36' 19.670" N	74° 18' 42.768" E
45	15° 36' 30.832" N	74° 18' 12.327" E
46	15° 36' 50.867" N	74° 18' 37.149" E
47	15° 36' 50.716" N	74° 19' 36.580" E
48	15° 37' 14.547" N	74° 20' 10.161" E
49	15° 38' 20.416" N	74° 18' 49.208" E
50	15° 38' 42.043" N	74° 17' 41.244" E
51	15° 39' 29.538" N	74° 16' 5.772" E

IndiaCode

B. Key Location (Global Positioning System) of Eco Sensitive Zone Boundary

POINT ID	LATITUDE	LONGITUDE
1	15° 39' 55.972" N	74° 14' 46.070" E
2	15° 39' 31.808" N	74° 14' 40.372" E
3	15° 39' 18.043" N	74° 15' 8.065" E
4	15° 39' 29.538" N	74° 16' 5.772" E
5	15° 38' 37.338" N	74° 17' 24.972" E
6	15° 38' 42.043" N	74° 17' 41.244" E
7	15° 38' 20.416" N	74° 18' 49.208" E
8	15° 37' 21.668" N	74° 20' 10.387" E
9	15° 36' 30.832" N	74° 18' 12.327" E
10	15° 36' 11.658" N	74° 18' 27.977" E
11	15° 36' 24.782" N	74° 20' 1.725" E
12	15° 37' 31.635" N	74° 20' 42.959" E
13	15° 37' 23.709" N	74° 21' 42.735" E
14	15° 36' 4.910" N	74° 21' 12.889" E
15	15° 36' 15.976" N	74° 21' 50.536" E
16	15° 36' 52.459" N	74° 22' 19.008" E
17	15° 37' 24.960" N	74° 22' 29.217" E
18	15° 36' 4.992" N	74° 22' 28.359" E
19	15° 34' 43.965" N	74° 22' 10.903" E
20	15° 35' 4.578" N	74° 24' 10.332" E
21	15° 32' 57.498" N	74° 25' 32.412" E
22	15° 32' 25.818" N	74° 24' 32.292" E
23	15° 31' 40.818" N	74° 24' 29.412" E
24	15° 30' 46.685" N	74° 25' 24.960" E
25	15° 28' 49.597" N	74° 22' 30.251" E
26	15° 28' 26.319" N	74° 22' 18.503" E
27	15° 28' 23.380" N	74° 24' 56.166" E
28	15° 28' 29.705" N	74° 25' 9.093" E
29	15° 28' 56.827" N	74° 24' 41.271" E
30	15° 29' 23.688" N	74° 24' 37.357" E
31	15° 29' 57.893" N	74° 25' 22.899" E
32	15° 29' 26.917" N	74° 25' 23.915" E
33	15° 29' 9.347" N	74° 26' 3.865" E
34	15° 29' 14.466" N	74° 27' 4.633" E
35	15° 29' 58.850" N	74° 27' 8.658" E
36	15° 30' 50.719" N	74° 26' 33.410" E
37	15° 30' 43.549" N	74° 26' 6.808" E

IndiaCode

POINT ID	LATITUDE	LONGITUDE
38	15° 31' 23.790" N	74° 25' 58.176" E
39	15° 31' 39.051" N	74° 25' 18.731" E
40	15° 32' 13.947" N	74° 25' 19.975" E
41	15° 32' 14.691" N	74° 25' 59.104" E
42	15° 33' 2.296" N	74° 26' 22.488" E
43	15° 34' 11.637" N	74° 25' 49.089" E
44	15° 34' 31.727" N	74° 25' 43.909" E
45	15° 34' 43.915" N	74° 25' 14.881" E
46	15° 35' 32.733" N	74° 24' 53.097" E
47	15° 37' 38.002" N	74° 23' 19.267" E
48	15° 38' 45.234" N	74° 23' 21.981" E
49	15° 39' 5.411" N	74° 20' 27.259" E
50	15° 39' 15.596" N	74° 18' 42.697" E
51	15° 40' 6.488" N	74° 18' 3.859" E
52	15° 39' 36.595" N	74° 17' 35.797" E
53	15° 39' 40.634" N	74° 16' 59.324" E
54	15° 40' 0.888" N	74° 16' 53.152" E
55	15° 40' 5.279" N	74° 16' 34.000" E
56	15° 40' 14.367" N	74° 15' 56.429" E
57	15° 40' 12.271" N	74° 15' 40.852" E
58	15° 39' 53.361" N	74° 14' 59.031" E

IndiaCode

ANNEXURE –D

DETAILS OF VILLAGES FALLING WITHIN ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY OF BHIMGAD WILDLIFE SANCTUARY

Serial Number	Village Name	Hobli Name	Taluk Name	District Name	Latitude	Longitude	Area Ha
1.	Chikale	Jamboti	Khanapur	Belagavi	15° 39' 44.191" N	74° 15' 52.464" E	23.3
2.	Gavase	Jamboti	Khanapur	Belagavi	15° 39' 16.500" N	74° 17' 22.207" E	21.86
3.	Amagaon	Jamboti	Khanapur	Belagavi	15° 38' 44.070" N	74° 18' 27.404" E	9.76
4.	Chapoli	Jamboti	Khanapur	Belagavi	15° 38' 15.655" N	74° 20' 37.043" E	17.95
5.	Gavali	Jamboti	Khanapur	Belagavi	15° 36' 24.654" N	74° 19' 2.350" E	129.9
6.	Kiravali	Gunji	Khanapur	Belagavi	15° 37' 55.620" N	74° 22' 31.882" E	65.28
7.	Pastoli	Gunji	Khanapur	Belagavi	15° 37' 7.018" N	74° 22' 2.240" E	23.75
8.	Kabanali	Gunji	Khanapur	Belagavi	15° 37' 8.297" N	74° 23' 48.479" E	8.30
9.	Kongale	Jamboti	Khanapur	Belagavi	15° 35' 39.440" N	74° 23' 21.121" E	102.22
10.	Nerase	Gunji	Khanapur	Belagavi	15° 35' 1.323" N	74° 24' 41.428" E	1.05
11.	Shiroli	Gunji	Khanapur	Belagavi	15° 34' 15.666" N	74° 25' 11.594" E	94.42
12.	Dongaragaon	Gunji	Khanapur	Belagavi	15° 31' 55.707" N	74° 24' 53.680" E	22.66
13.	Varakarpati	Gunji	Khanapur	Belagavi	15° 29' 59.861" N	74° 26' 14.173" E	4.59
						TOTAL	**525.04**

ANNEXURE –E

DETAILS OF RESERVE FOREST AREA LOCATED WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY OF BHIMGAD WILDLIFE SANCTUARY

Map ID	Name of the village	Taluka	Latitude	Longitude	Area in Ha.	Notification No.
1	Chikale	Khanapur	15.6649	74.2608	415.96	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894 1042-29/3/1921
2	Gavase	Khanapur	15.6641	74.299	794.42	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894 1042-29/3/1921
3	Chapoli	Khanapur	15.6649	74.3311	2384.22	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894 1098-1/2/1919 1042-29/3/1921
4	Amgaon	Khanapur	15.6466	74.3065	633.96	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894 1042-29/3/1921 AFO265FAFG-24/11/1959
5	Gawali	Khanapur	15.6201	74.3352	192.58	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894
6	Pastoli	Khanapur	15.6157	74.365	461.6	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894
7	Kabanalli	Khanapur	15.6307	74.3818	611.17	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894 5697-19-3-1927
8	Kongala	Khanapur	15.5936	74.3936	1576.78	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894 1356-19/5/1920
9	Nerse	Khanapur	15.5997	74.4197	169.24	7F-1/3/1879 7425-9/11/1888 15471-14/9/1936 524-27/11/1903
10	Shiroli	Khanapur	15.5643	74.43	364.23	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894 1356-19/5/1920
11	Dongargaon	Khanapur	15.5333	74.4382	1349.07	7F-1/3/1879 5618-2/7/1894 6008-24/6/1911
12	Warkadpate	Khanapur	15.4957	74.4304	2460.02	5618-2/7/1894 9494-10/7/1894 3655-21/2/1924 7F-1/3/1879
				Total	**11413.25**	

IndiaCode

ANNEXURE – F

REVENUE LAND INCLUDED WITHIN THE ESZ BOUNDARY

Serial Number	Village	Revenue Survey No	Area (hectares)
1	WARKADPATE	116	2.38
		22	0.9
		129	1.31
		Total	**4.59**
2	DONGARAGAON	54	1.31
		55	2.53
		52	3.34
		64	1.63
		11	7.40
		09	6.45
		Total	**22.66**
3	SHIROLI	199	1.94
		22	0.40
		23	0.50
		24	2.87
		25	3.44
		26	1.31
		34	0.50
		35	0.20
		36	6.0
		33	3.13
		29	2.04
		30	1.61
		15	3.03
		18	0.82
		31	2.22
		32	2.53
		37	2.73
		38	0.2
		50	7.79
		51	1.92
		48	0.76
		49	3.74
		44	0.32
		43	5.16
		42	3.74

IndiaCode

		41	7.08
		40	0.6
		39	0.36
		191	0.91
		192	0.6
		193	1.31
		184	3.94
		183	1.0
		188	1.10
		189	0.35
		182	5.97
		10	2.1
		185	1.6
		14	6.1
		19	0.3
		17	0.9
		26	1.3
		Total	**94.42**
4	NERSE	126	1.05
		Total	**1.05**
5	KONGALA	47	1.2
		48	0.8
		49	1.7
		50	2.3
		58	4.2
		83	0.8
		84	0.45
		28	0.68
		26	0.24
		30	0.29
		39	0.69
		37	2.31
		40	0.89
		41	0.68
		42	0.24
		31	2.9
		33	4.6
		32	2.8
		23	0.79
		22	6.2

IndiaCode

		21	0.8
		20	2.4
		19	0.84
		18	0.32
		17	0.10
		16	0.51
		15	1.36
		14	5.2
		86	4.2
		87	8.2
		89	2.3
		12	1.31
		03	0.45
		01	1.31
		70	1.3
		04	0.48
		05	0.14
		06	0.05
		07	0.06
		08	0.12
		09	4.2
		10	1.8
		11	7.2
		85	1.82
		90	0.08
		60	1.32
		61	2.92
		55	5.2
		56	0.09
		57	0.93
		62	4.3
		63	1.2
		65	0.45
		66	0.9
		67	1.5
		68	0.8
		69	1.3
		Total	**102.22**
06	KABANALI	27	5.6
		57	2.7
		Total	**8.3**

IndiaCode

07	CHIKALE	08	4.29
		09	4.53
		02	6.2
		06	4.8
		73	1.22
		69	2.26
		Total	**23.3**
08	GAVASE	11p	21.86
		Total	**21.86**
09	AMAGAON	01	1.36
		02	1.90
		17	2.3
		28	4.2
		Total	**9.76**
10	KIRAVALE	1	0.98
		2	0.71
		3	0.32
		4	1.23
		5	0.36
		6	1.70
		7	3.51
		8	2.19
		9	0.56
		10	0.53
		11	2.14
		12	0.94
		13	1.90
		14	2.18
		15	1.29
		16	6.98
		17	0.49
		18	0.89
		19	0.50
		20	0.12
		21	4.2
		22	2.8
		23	1.8
		26	0.9
		28	0.53
		29	2.48

IndiaCode

		30	0.15
		31	0.78
		32	0.87
		33	0.65
		34	4.12
		35	2.39
		36	2.15
		37	3.77
		38	0.38
		39	1.44
		40	0.45
		41	4.93
		42	0.97
		Total	**65.28**
11	PASTOLI	1	1.76
		2	1.30
		3	0.51
		4	0.26
		5	0.56
		6	0.07
		7	0.12
		8	0.10
		9	0.13
		10	0.12
		11	0.50
		12	0.56
		13	0.6
		15	0.77
		16	0.14
		17	0.53
		18	0.49
		19	0.31
		20	0.15
		21	0.08
		22	0.85
		23	0.11
		24	0.19
		25	0.46
		26	0.38
		28	0.10

IndiaCode

		29	2.10
		30	0.66
		31	0.29
		32	1.07
		33	0.09
		34	0.16
		35	0.09
		37	0.15
		38	1.72
		41	1.30
		42	1.77
		43	1.77
		44	0.47
		45	0.10
		46	0.13
		47	0.73
		Total	**23.75**
12	CHAPOLI	23	4.75
		29	0.9
		28	4.6
		57	2.8
		33	4.9
		Total	**17.95**
13	GAVALI	71	83.8
		72	46.1
		Total	**129.9**
		Grand Total	**525.04**
Note: All the Revenue Survey Numbers mentioned above are fully included in the Eco Sensitive Zone			

IndiaCode

ANNEXURE – G

RESERVE FOREST LAND THAT IS INCLUDED WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY OF DIFFERENT VILLAGES

Serial Number	**Village**	**Forest Survey Number**	**Area(Ha)**	**Remarks**
1	KONGALA	51	5.66	
		52	4.85	
		53	4.54	
		54	1542.77	
		34	0.56	

		29	0.95	
		27	8.21	
		88	3.72	
		82	2.67	
		80	0.08	
		81	0.48	
		79	0.12	
		64	0.02	
		41	0.33	
		42	1.16	
		13	0.35	
		02	0.16	
		45	0.09	
		46	0.06	
		TOTAL	**1576.78**	
2	KABANALI	59	7.50	
		60	1.18	
		58	1.38	
		56	601.11	
		TOTAL	**611.17**	
3	CHIKALE	07	1.11	
		04	4.75	
		05	9.2	
		79	236.2	
		75	4.28	
		01	160.0	
		74	0.12	
		03	0.3	
		TOTAL	**415.96**	
4	GAVASE	04	794.42	
		TOTAL	**794.42**	
5	AMAGAON	07P	629.41	
		03	4.55	
		TOTAL	**633.96**	
6	PASTOLI	27	124.29	
		57	337.31	
		TOTAL	**461.6**	
7	WARKADPATE	127	198.68	
		89	120.14	

IndiaCode

		136	2141.2	
		TOTAL	**2460.02**	
8	DONGARGAON	10	113.06	
		62	1139.76	
		49	6.95	
		7	7.82	
		8	6.92	
		50	8.09	
		51	8.24	
		53	6.62	
		56	6.83	
		57	7.02	
		58	5.79	
		65	6.51	
		66	4.09	
		67	7.79	
		68	6.18	
		69	7.00	
		30	0.40	
		TOTAL	**1349.07**	
9	SHIROLI	197	146.55	
		200	127.51	
		198	1.73	
		186	62.79	
		196	9.05	
		27	1.01	
		28	7.37	
		190	8.22	
		TOTAL	**364.23**	
10	NERSE	110P	**169.24**	
11	CHAPOLI	61	2379.68	
		24	4.54	
		TOTAL	**2384.22**	
12	GAVALI	70P	**192.58**	
		GRAND TOTAL	**11413.25**	

IndiaCode

ANNEXURE –H

Proforma of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment Act,
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.12.09 14:36:00 +05'30'